m0i0 df"k vu|l/kku ifj"kn

v"Ve ry] fdlku e.Mh Hkou] foHkfr [k.M]
xkerh uxj] y[kuÅ

V.Mj ukfVl

वर्ष 2017—2018 के कार्यालय उपयोग हेतु बफे लंच एवं लंच पैकेट हेतु निविदा दिनांक 19—07—2017 को अपरान्ह् 2 बजे तक मोहर बन्द निविदांए आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म रू0 1,000/— परिषद के सचिव, उप्रप्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के खाता सं0 2408010100027867, I.F.S.C. कोड P.U.N.B. 0619400, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मण्डी परिषद में जमा कर यू0टी0आर0 नम्बर के साथ परिषद से दिनांक 18—07—2017 तक किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा के सम्बन्ध में शर्ते परिषद की बेवसाइट www.upcaronline.org पर उपलब्ध है।

दिनॉक 03—7—2017

lgk;d egkfun'kd

fufonk dh 'krl

1— फर्म का नाम, पता व मो0 नं0 सहितः—

2— जी0एस0टी0 / टिन नं0ः— पैन नं0ः—

3— निविदाकार अपनी निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करेंगें, पहले लिफाफे में तकनीकी बिड के अर्न्तगत वांछित अभिलेख होंगे तथा दूसरे लिफाफें में केवल फाइनेन्शियल प्रस्ताव होंगे। एक लिफाफे पर तकनीकी बिड तथा दूसरे लिफाफे पर फाइनेन्शियल लिखा होना चाहिए। तकनीकी बिड के मूल्यांकन के उपरान्त चयनित निविदाकारों की ही फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी और उन्हीं में से अंतिम रूप दिया जायेगा।

4— आयकर प्रमाण पत्र / समस्त करों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5— संलग्न निविदा फार्म को पूरी तरह भरा जाना चाहिए और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर टेण्डर दाता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।

6— यदि टैक्स देय हो तो उसका उल्लेख करें।

7— कार्य अनुभव के रूप में किसी भी तीन सरकारी संस्थानों में बफे कैटरिंग के तीन आदेश एवं लंच पैक्ड आपूर्ति के तीन आदेशों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8— निविदा भरने वाली फर्म का लखनऊ में रेस्टोरेन्ट होना अनिवार्य है।

9— प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि के रूप में रू0 20,000 / —का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के नाम लगा होना अनिवार्य है। चेक मान्य नही होंगे। जिन निविदादाताओं की निविदाएं स्वीकृत नही होगी, उनकी अर्नेस्टमनी को मूल रूप से वापस कर दिया जायेगा। चयनित निविदाकार की जमानत धनराशि जमा रहेगी, एवं रू0 100 / — के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबन्ध के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10— अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11— निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी दशा में वापस नही होगा।

12— कोई भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा

13— बिना धरोहर धनराशि के आयी निविदा मान्य नहीं होगीं।

14— रेट की वैधता न्यूनतम एक वर्ष तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की सहमति पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

15— निविदा दिनांक 19—07—2017 को अपरान्ह् 2 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह् 3 बजे खोली जायेगी।

16— जिन फर्मो की तकनीकी बिड स्वीकार नही होगी, उस फर्म की फाइनेन्शियल बिड बिना खोले ही वापस कर दी जायेगी।

17— परिषद में समय—समय पर होने वाली बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 50 होने पर भी फर्म को परिषद में बफे लंच की व्यवस्था करना होगा।

18— परिषद में आयोजित किसी भी प्रोग्राम में प्रयोग की जाने वाली सभी क्राकरी बोन चायना मेक की होगी।